न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00585/2016

उनवान

1. धुलिया पिता श्री बदा डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।
2. नटवरलाल पिता सका डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. गौतमलाल पिता रूपा डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।
2. तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री दुष्यन्त जोशी, वादी अभिभाषक

2. श्री जीतमल कटारा, प्रतिवादी अभिभाषक

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियमएवं 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः22.4.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 के सहस्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषिभूमि खाता संख्या 161 (पुराना) 123 (नया) के सर्वे नम्बर 42 रकबा 0. 06हे0, सर्वे नम्बर 59 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 60 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 61 रकबा 0. 08 हे0, सर्वे नम्बर 62 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 64 रकबा 0.32 हे0, सर्वे नम्बर 65 रकबा 0. 13 हे0, सर्वे नम्बर 66 रकबा 0.37 हे0, सर्वे नम्बर 70 रकबा 0.40 हे0, सर्वे नम्बर 71 रकबा 0. 09 हे0, सर्वे नम्बर 77 रकबा 0.04 हे0 कुल खेत नंग 11 कुल रकबा 1.75 हे0 वाके गांव भगोरा तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित है।वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर पैतृकरूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01की पैतृक होकर स्व. श्री फकीरा मुल पुरूष होकर वंशावली निम्नानुसार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण फकीरा के पुत्र बदा के ही पुत्र है परन्तु वक्त सेटलमेंट वादीगणके पिता का नाम दर्ज नही किया। जिस वजह से प्रतिवादी अपने नाम का अनुचितलाभ उठाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है। मौके पर वादीगण अपनेहिस्से की भूमि मे काश्त कर रहे है, परन्तु प्रतिवादी अपने नाम का फायदा उठाकर वादीगण की जमीन हड़पने आमादा है। जिस वजह से वादीगण को भारीसमस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण को इस पैतृक भूमि का सहखातेदारकाश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु हस्ब धारा 88 रा.का.अ.के तहत वाद पेश किया।प्रतिवादी उक्त भूमि को आनन फानन मे विक्रय कर हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने आमादा है एवं वादी को उसके कब्जे काश्त की पैतृक भूमि से बेदखलकरने आमादा है। जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। इसहेतु हस्ब धारा 188 रा. का.अ. के तहत वाद पेश है। प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है परन्तुराजस्व रेकार्ड मे नाम छुट जाने की उक्त त्रुटी का गलत फायदा उठाकर वादीके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की उक्त पैतृक भूमि प्रतिवादी खुर्द बुर्द करने आमादा है। प्रतिवादी ने At the Back of the Party अपना एवं अपने पिता कानाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवा दिया परन्तु साजिशन वादी के पिता का नामराजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने दिया तथा अब वादीगण के हिस्से की भूमि हड़पनेआमादा है। उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त करने 136 L-R-Act- के तहत वाद पेशहै। उक्त राजस्व त्रुटी को सुधार, वादीगण को उक्त पैतृक भुमि का खातेदार घोषितकरना आवश्यक है।वाद पत्र मे वर्णित भूमि में वादीगण को सह खातेदार घोषित किया जाने तथा दौराने वाद प्रतिवादी किसी तरह से भूमि को खुर्द बुर्द करे, विक्रय करेया हस्तान्तरण करे तो उसे पुनः बहाल करने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री जीतमल कटारा, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में बताया कि खाता संख्या 161 नया, 123 पुराना, के खसरा संख्या 59 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 60 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 64 रकबा 0.32 हे0, सर्वे नम्बर 65 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 66 रकबा 0.37 हे0, सर्वे नम्बर 70 रकबा 0.40 हे0, सर्वे नम्बर 71 रकबा 0.09 हे0 पैतृक भूमि है व खसरा संख्या 42 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 61 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 62 रकबा 0.04 हे0 व सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 0.04 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्वयं खरीदी होकर स्वअर्जित भूमि है। वादीगणों का भूमि पर पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही कभी काश्त करते आये है। वादीगणों को बटवारे में मिली उनके हिस्से की पैतृक भूमि 68 में से 30 X 60 वर्गफीट व 20 X 60 वर्गफीट भूमि को फकिर मोहम्मद अब्बास को बैचान कर दी है। प्रतिवादी संख्या 01 केवल अपने हिस्से की भूमि एवं खरीदी गई जमीन का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। इसलिये वादीगणों को उक्त जमीन में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

भी प्रकार से सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में वादीगण और प्रतिवादी संख्या 01 की वंषावली निम्नानुसार बताई:–

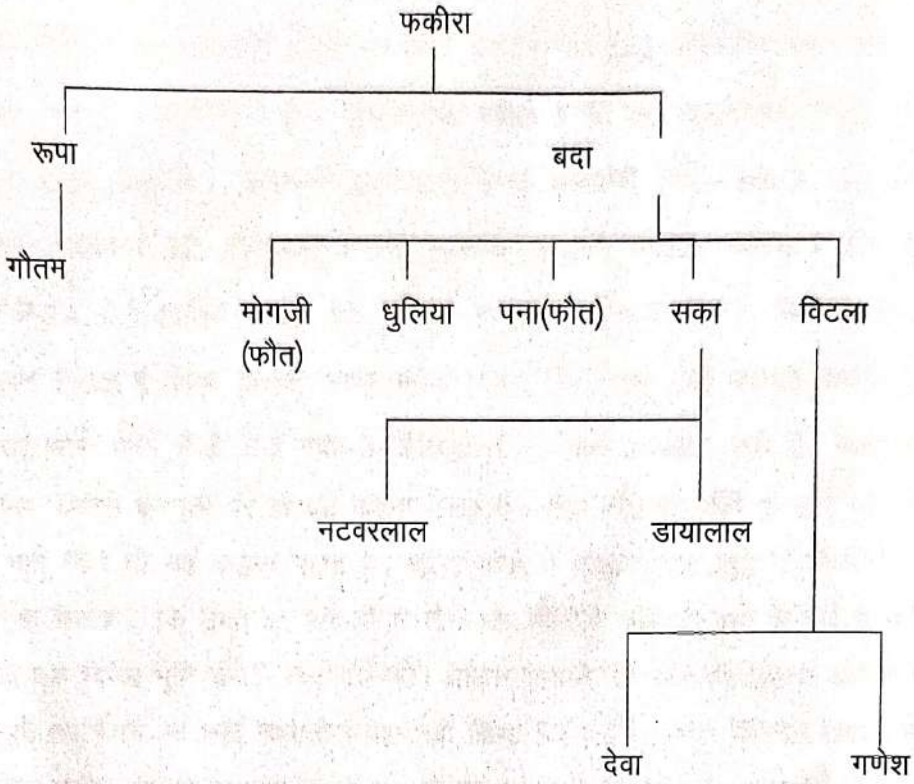

वादीगण द्वारा दावा एवं दावे साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में pw-1 धुलिया पिता बदा का शपथ–पत्र पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 71 p-1 एवं तुलनात्म नकल p-2 प्रदर्श करायी जाकर गवाह धुलिया पिता बदा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर गोतम भाई का कब्जा है वो कमा रहे है अचकुत कहा पूर्व में हम भी कमाते थे। पूर्व में उक्त भूमि मुल खातेदार रूपा के नाम थीं। उसकी मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी गोतम के नाम दर्ज हुई। इससे पूर्व उक्त भूमि फकिरा के नाम दर्ज थी। लेकिन पुराना ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें उक्त भूमि फकिरा के नाम दर्ज थी। हमने हमारे हिस्से की भूमि बेच दी हो यह कहना गलत है। फकिरा के दो पुत्र थे एक रूपा व दूसरा बदा, रूपा के एक पुत्र है गोतम तथा बदा के पांच पुत्र है जिनके नाम मोगजी, धुलिया, पना, सका और विठला है। मोगजी लाओलाद फोत हुआ, पना भी लाओलाद फोत हो गया, सका भी फोत हो गया है तथा उसके दो पुत्र है एक नटवरलाल और दूसरा डायालाल, विठला फोत हो गया है उसके दो पुत्र एक देवा और दूसरा गणेश है। फकीरा के नाम से 03 खेत थे। खसरा संख्या 71, 77, 61, 62 रूपा के अपने नीजी खेत है इसमें कुछ जमीन फकिरा के नाम से आवंटित हुई हो तो मुझे पता नहीं। तीन पिडियो से उक्त भूमि रूपा के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का एक भाई विठला है तथा उक्त भूमि में उसका हिस्सा नहीं बनता है। क्योकि विठला घर जमाई रह गया है।पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में DW-1 गोतम पिता रूपा का शपथ–पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज इकरार नाम p-1, दस्तावेज बेचान नामा P-2 बेचान नाम P-3,नामान्तरण P-4, तुलनात्मक नकल P-5, पुनः तुलनात्मक नकल P-6, जमाबन्दी संवत 2032 P-7, जमाबन्दी संवत 2032 P-8, जमाबंदी संवत 1980 से 1986 P-9, नामान्तरण नकल P-10, गिरदावरी P-11, आंशिक जमाबंदी P-12, नोटिस P-13,, पुनः नोटिस P-14, पुनः नोटिस P-15, पुनः नोटिस P-16, नामान्तरण P-17, जमाबंदी P-18, नामान्तरण P-19 है प्रदश कराये जाकर गवाह गोतम पिता रूपा द्वारा अवगत कराया गया किइकरार नामा प्रदर्ष P-1, P-2 एवंP-3 रजिस्ट्री में मेरे कही हस्ताक्षर नहीं है। उक्त सभी सर्वे नम्बर फकीरा के नाम पर हो यह कहना गलत है। रूपा बडा पुत्र होने के नाते सारे खेत उसके नाम किये हो यह कहना गलत है। बल्कि रूपा ने उक्त जमिन खुद ने निकाली थी। यह कहना गलत है कि उक्त 11 खेत में से तीन खेत फकिरा भाई के नाम से दर्ज है बल्कि दो बिघा एक बिस्वा भूमि उसके नाम दर्ज थी। लेकिन उन्होने बेच दी। यह कहना सही है कि उक्त भूमि का बेचने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अचकुत कहा कि मैने लगाना भुल गया उक्त जमीन पर धुलिया काश्त कर रहा हो यह गलत है बल्कि मैं कर रहा हूँ।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट पेश हुई। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 198 में कुल सर्वे नम्बर 11 रकबा 1.75 हे0 लगान 5.44 रूपया की गौतम पिता रूपा साकिन बेडवा के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर वर्तमान में गौतम पिता रूपा भील का कब्जा काश्त है। तथा धुलीया पिता बदा जाति भील प्रतिवादी के परिवादी का चचेरा भाई है।

पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः–

तनकी संख्या 01 :–आया वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व एंव आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 161 (नई) 123 (पुरानी) के कुल सेर्व नम्बर 11 रकबा 1.75 हे0 ग्राम भगोरा पटवार हल्का भगोरा में स्थित है। (वादीगण सिद्ध करे)

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत [illegible] अभिलेख (जमाबंदी) खाता संख्या 161 (नया) 123 (पुराना) संवत् 20[illegible] की तुलनात्मक नकल प्रदर्श–2 प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रू[illegible] धुलिया का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य में यह अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि [illegible]गण एवं प्रतिवादी के परिवार के मूल पुरूष फकिरा की है। प्रतिवादी द्वारा जालसाजी कर अपने एवं अपने पिता के नाम पुरी सम्पत्ति कराली। प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में गवाह गोतम का शपथ पेश कर साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–19 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी एवं उसके पिता की स्व अर्जित एवं पैतृक भूमि है वादीगण द्वारा अपने हिस्से आयी भूमि का बेचान कर दिया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 के अवलोकन से प्रतित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी गोतम के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि समस्त वादग्रस्त भूमि मुल पुरूष फकीरा की होकर वादीगण की पैतृक भूमि है। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श–1 से प्रदर्श–19 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रदर्शो के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी एवं उनके पिता की स्व अर्जित भूमि है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :–आया मूल पुरूष के फोत होने पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही किया गया। जिस कारण प्रतिवादी अपने नाम का अनुचित लाभ उठाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता है। (वादीगण सिद्ध करे)

वादीगण द्वारा अपने दावे एवं साक्ष्य रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक है व प्रतिवादी द्वारा धोखे से सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवाली है। किन्तु वादीगण द्वारा उक्त तनकी के समथर्न में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक हो। जबकि प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–19 पेश किया जिसमे मुख्य रूप से प्रदर्श–1 से 03 इकरार नामा व बेचाननाम पेश किया। तथा तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :–आया वादग्रस्त भूमि में से सर्वे नम्बर 42, 61, 62 एंव 77 की भूमि मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वंय के नाम क्रय की जाकर स्व अर्जित भूमि है। (प्रतिवादी सिद्ध करे)

प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श–2 दस्तावेज बेचान नामा जिसमें सर्वे नम्बर 77 प्रतिवादी गोतम पिता रूपा द्वारा विक्रेता फिदाहुसेन, सादीकअली, सकिनाबाई पिता रजबअली व आबेदिन पिता फिदाहुसेन जाति बोहरा से क्रम की है। तथा प्रदर्श–19 नामान्तरण, जो उक्त बेचान नामे के आधर पर सर्वे नम्बर 77 प्रतिवादी के नाम नामान्तरण दर्ज रिकार्ड हुआ है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 [illegible] नम्बर 62 प्रतिवादी गोतम पिता रूपा द्वारा विक्रेता कचरा पिता उंकार जाति [illegible] प्रतापुर से क्रय की है। तथा प्रदर्श–17 नामान्तरण, उक्त बेचान [illegible] नम्बर 62 का प्रतिवादी गोतम के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ है। प्र[illegible] दस्तावेजो के आधार पर यह साबित होता है कि सर्वे नम्बर 77 एवं सर्वे नम्बर 62 प्रतिवादी की स्व. अर्जित सम्पत्ति है। प्रदर्श–4 नामान्तरण के अवलोकन से यह ज्ञाता आता है कि सर्वे नम्बर 61 एक अन्य खाते से बटवारे

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

के द्वारा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ है। इन सभी दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि सर्वे नम्बर 77, 62 एवं सर्वे नम्बर 61 वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। वादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष व वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :—वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है एंव न ही कभी काश्त करने आये है। वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि श्री फकिर मोहम्मद अब्बास को बैचान कर दी गई है। वादीगण का एक ओर भाई विठला जो फोत हो गया है उसके वारिसान भी पैतृक भूमि में हिस्सा रखते है।(प्रतिवादी सिद्ध करें)

प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्श—1 इकरार नामा प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया की वादीगण द्वारा सर्वेनम्बर 66 में से अपने हिस्से की भूमि का श्री फकिर मोहम्मद अब्बास को बैचान कर दी है। तथा तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में वर्णित वंशावली में वादी का एक भाई विठ्ला भी होना बताया तथा वादी के गवाह धुलिया ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है उसका भाई विठला है। विठला के घर जमाई रह जाने से पैतृक सम्पत्ति में उसके वारिसान का हिस्सा नहीं होना बताया। जबकि वादीगण द्वारा विठला के घर जमाई रह जाने से वादग्रस्त भूमि में हकत्याग कर दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोषः—तनकी संख्या 01, 02, 03 एवं 04 प्रतिवादी के पक्ष व वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने के पक्ष से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

<u>आदेश</u>

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00585/2016

उनवान

1. धुलिया पिता श्री बदा डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।
2. नटवरलाल पिता सका डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. गौतमलाल पिता रूपा डाबी जाति आदिवासी निवासी बेडवा तहसील गढी जिलाबांसवाडा।
2. तहसीलदार तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 22.4.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 22.4..2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible] हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner